विज्ञापन

भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नियमित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण प्रतिवर्ष बजट की उपलब्धता की सीमा तक नियमावली में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार किया जाता है। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर (अन्य प्रदेशों में) स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रमों आदि का विवरण केवल आनलाइन आवेदन कर मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने की अनिवार्य व्यवस्था शैक्षणिक वर्ष 2014-15 से लागू की गयी है। यही व्यवस्था निम्नानुसार समयसीमा के अन्तर्गत 2016-17 में भी लागू रहेगी।

2– शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये दिनांक 01 मई 2016 से 15 जुलाई 2016 तक स्वयं आनलाइन आवेदन किया जायेगा। मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों आदि को सम्मिलित करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक 15 जुलाई 2016 (वाह्य प्रदेश हेतु 05 जुलाई 2016) के बाद कोई भी आनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

3– मास्टर डाटाबेस में वही शिक्षण संस्थान/विद्यालय सम्मिलित हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता/सम्बद्धता दिनांक 30 जून 2016 तक प्राप्त हो चुकी होगी।

4– मास्टर डाटाबेस में जिन शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों के नाम पहले से शामिल हैं, उन्हें भी शैक्षणिक वर्ष 2016-17 हेतु अपने शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त विवरण पूर्व में प्रदान किये गये लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड के माध्यम से आनलाइन भर कर मास्टर डाटाबेस में अद्यतन (**Update**) करना होगा। शिक्षण संस्थान द्वारा शुल्क के सम्बन्ध में सुसंगत शासनादेश भी वेबसाइट पर यथास्थान अपलोड किया जायेगा।

5– शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य/निदेशक तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर, ई-मेल, पैन नम्बर तथा आधार नम्बर भी वेबसाइट पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। मास्टर डाटा में अंकित किये गये विवरण तथा अपलोड किये गये अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य/निदेशक तथा नोडल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से किया जाना अनिवार्य होगा।

6– सभी संस्थान अपने यहां अध्ययनरत छात्र का अनिवार्य रूप से आधार नम्बर बनवाना एवं नामांकन संख्या (प्रथम वर्ष को छोडकर) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें ।

7– मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये 30 जून 2016 तक मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त नये शिक्षण संस्थानों/ विद्यालयों को वेबसाइट के इंस्टीटयूट सेक्शन में जाकर स्वयं निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर आनलाइन आवेदन करना होगा।

8– प्रदेश के बाहर स्थित शिक्षण संस्थानों को भी निर्धारित तिथि 05 जुलाई 2016 तक जिलाधिकारी/अपने जनपद के उच्चशिक्षाधिकारी/शिक्षाधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी की संस्तुति सहित समस्त अभिलेखों के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र में मांगी गयी सूचनाओं को निदेशक, समाज कल्याण को प्रेषित करके स्वयं आनलाइन आवेदन कर मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होना होगा। प्रदेश के बाहर स्थित शिक्षण संस्थानों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड उनके द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में अंकित ई मेल पर दिया जायेगा। संस्थायें आवेदन पत्र भरते समय सही और कार्यरत ईमेल एड्रेस ही दें। लागिन एवं पासवर्ड प्राप्ति हेतु उपनिदेशक/नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को निर्धारित प्रकिया अनुसार आवेदन करना होगा। वाह्य प्रदेश स्थित संस्थान मास्टर डाटा में नाम सम्मिलित करने हेतु किसी भी समस्या के लिये दूरभाष संख्या 0522-220885, 0522-2204177 एवं मोबाइल संख्या 8601222005 पर कार्यालय अवधि में सम्पर्क करें।

9– प्रदेश के बाहर केवल अनुसूचित जाति के ही छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय है। प्रदेश के बाहर स्थित शिक्षण संस्थानों को लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र की हार्ड कापी सम्बन्धित प्रदेश के सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अपने जनपद के उच्च शिक्षाधिकारी/शिक्षाधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी की संस्तुति सहित समस्त अभिलेखों के साथ रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से तथा आवेदन पत्र को स्कैन कर ई-मेल- **dd.dir3.sw@dirsamajkalyan.in** पर 05 जुलाई 2016 तक उपलब्ध करानी होगी।

10– प्रदेश के बाहर स्थित सभी शिक्षण संस्थानों को लागिन आई डी एवं पासवर्ड मिलते ही विलम्बतम दिनांक 15.07.2016 तक अपने शिक्षण संस्थान की समस्त सूचनाएं एवं सक्षम स्तर से निर्धारित फीस स्ट्रक्चर निर्धारित पोर्टल पर आनलाइन भर कर एवं यथास्थान उसकी स्कैन कापी अपलोड करके उसे लाक करना होगा। उपनिदेशक/नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ मुख्यालय स्तर पर प्रदेश के बाहर स्थित सभी संस्थानों की फीस आदि का विवरण दिनांक 30.8.2016 तक लाक करेंगे।

11– मास्टर डाटाबेस में उक्त प्रकिया अनुसार जिन शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों का नाम निर्धारित तिथि तक सम्मिलित व डिजिटली हस्ताक्षरित होगा एवं सत्यापन/जांचोपरान्त सही पाया जायेगा, उन्हीं शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों के संस्थागत दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नियमित छात्रों को नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय होगी।

12– जनपद के बैंक, बैंक शाखाओं के नाम एवं उनके आई0एफ0एस0 कोड को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित करने हेतु बैंक मास्टर को अद्यतन करने के लिये जिला समाज कल्याण अधिकारियों को अपना अनुरोध निदेशक समाज कल्याण को दिनांक 30.06.2016 तक प्रेषित करना होगा। मास्टर डाटा में बैंक, बैंक शाखा तथा आई0एफ0एस0 कोड एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निदेशालय स्तर से अद्यतन (**Update**) कराया जायेगा। समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि उनके जनपद में स्थित कोई भी बैंक/बैंक शाखा/बैंक शाखा का आई0एफ0एस0 कोड मास्टर डाटा में छूटने न पाये।

13– मास्टर डाटाबेस में नवीन संस्थाओं के सम्मिलित होने के लिए बाह्य प्रदेश हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप/प्रदेश के भीतर हेतु इंस्टीट्यट सेक्शन में लिंक वेबसाइट **http://scholarship. up.nic.in** पर उपलब्ध है।

3/6/16

निदेशक
समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश।